DR. SASMIT PATRA: Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

REGARDING A POINT OF ORDER RAISED BY A MEMBER

MR. CHAIRMAN: Now Special Mentions, Shri Anil Desai. ... (Interruptions)...

SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Sir, I want to raise a point of order.

MR. CHAIRMAN: No.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Please, Sir, it is very important.

MR. CHAIRMAN: Under what rule?

SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Sir, it is Rule No. 6, which is about the Roll of Members. It says, "There shall be a Roll of Members of the Council which shall be signed by every Member before taking his or her seat in the presence of the Secretary General." Sir, this is what the Rule says. Now, in today's Parliamentary Bulletin Part-I, in the last part, a few Members have been named. Among them..

MR. CHAIRMAN: But what is the point of order?

SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Sir, that is what I am coming to. My point of order is that a Member who was not present in the House yesterday – she is not here – has been named for gross disorderly conduct. Ms. Dola Sen has been. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: This has to be taken care of.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Sir,...

MR. CHAIRMAN: This will be taken care of. If it is so, it has to be rectified. ... (Interruptions)...

श्री मो. नदीमुल हक: एक मिनिस्टर बाहर आकर इतना ग्रॉस डिसऑर्डरली कंडक्ट कर रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जो आदमी यहां नहीं है, उनका नाम यहां लिया जा रहा है।

اً جناب مجد ندیم الحق: ایک منسٹر باہر آکر اتنا گراس ٹِس آرٹرلی کنڈکٹ کر رہا ہے، اس کے خلاف کو علی ایکشن نمی بورہا ہے۔ جو آدمی تیاں نمی ہے، ان کا نام عیاں لی جارہا

ہے۔

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Anil Desai. ... (Interruptions)... प्लीज़ आप बैठ जाइए। You brought it to my notice. It will be looked into and acted upon. Be assured. Instantly, I can't answer. I will have to go through that.

SPECIAL MENTIONS

Demand for passing a resolution in Parliament against the interference of other countries in India's internal matters, especially Citizenship Amendment Act

श्री अनिल देसाई (महाराष्ट्र): समापित जी, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित नागरिकता कानून के उपबंधों के बारे में जनता तथा हमारे विभिन्न राजनैतिक दलों में मतभेद हो सकते हैं, शंका, आशंका हो सकती है और यह स्वामाविक भी है। हमारे यहां प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है। यहां कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल सरकार के किसी भी प्रस्ताव या निर्णय का समर्थन या विरोध कर सकता है। सरकार के किसी भी निर्णय के विरुद्ध हमारे राजनैतिक दल आवाज उठा सकते हैं, आन्दोलन कर सकते हैं तथा अन्य कई माध्यमों द्वारा अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं और तब भी बात नहीं बने तो सरकार के खिलाफ अदालत में शिकायत भी कर सकते हैं। हमारे यहां एक सुव्यवस्थित तथा मजबृत न्याय व्यवस्था है और न्यायपालिका के आदेश सरकार को मानना बाध्यकारी भी है। अदालत में सरकार और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने की पूरी आजादी होती है। हमारा एक सार्वभौमिक प्रभुसत्ता सम्पन्न देश, सॉवरेन डेमोकरेटिक रिपब्लिक है। हमारे देश में कौन सा कानून बनेगा, किस पर लागू होगा, किस रूप में लागू होगा, इस बात के निर्णय का सर्वाधिकार हमारी जनता, संसद और सरकार के पास है। नागरिकता कानून हो या अन्य कानून हो, यह हमारा आन्तरिक मामला है। यूरोपियन यूनियन, पाकिस्तान, अमेरिका या किसी मी अन्य देश को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। यह हमारे देश की समस्या है और हम मिलकर इसका समाधान करेंगे?

मेरी सरकार से अपील है कि हमें सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि हम हमारे आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्रीमती सम्पतिया उइके (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

DR. VIKAS MAHATME (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI R.K. SINHA (Bihar): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.